10.01.22. पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई, न अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपी० स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]